न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1201–दो/2008 एवं निगरानी प्रकरण कमांक 1202–दो/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–9–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर कमशः अपील प्रकरण कमांक 673 एवं 674/अ–19/07–08.

....

निगरानी प्रकरण कमांक 1201–दो/08

1 दौलत तनय धीरे ढीमर
2 पण्डा तनय धीरे ढीमर
3 कल्लू तनय धीरे ढीमर
सभी निवासी ग्राम ज्यौरा मोरा तहसील पृथ्वीपुर,
जिला टीकमगढ, म0 प्र0

...........आवेदकगण

विरूद्ध

1 भागवती बेवा बैजू ढ़ीमर
2 देवी तनय परमू ढीमर
3 सरजुआ तनय परमू ढीमर
सभी निवासी ग्राम ज्यौरामोरा तहसील पृथ्वीपुर
जिला टीकमगढ, म0 प्र0 ....अनावेदकगण

निगरानी प्रकरण कमांक 1202–दो/08

1 दौलत तनय धीरे ढीमर आयु 55 वर्ष
निवासी ज्यौरा तह0 पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ
2 पण्डा तनय धीरे ढीमर आयु 60 वर्ष
निवासी ज्यौरा तह0 पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ
3 कल्लू तनय धीरे ढीमर आयु 50 वर्ष
सभी निवासी ग्राम ज्यौरा मोरा तहसील पृथ्वीपुर,
जिला टीकमगढ, म0 प्र0

...........आवेदकगण

विरूद्ध

1 भागवती बेवा बैजू ढ़ीमर
2 सरजुआ तनय परमू ढीमर
सभी निवासी ग्राम ज्यौरामोरा तहसील पृथ्वीपुर
जिला टीकमगढ, म0 प्र0 ....अनावेदकगण

....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री जितेन्द्र सिंघई, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20.10.15 को पारित)

यह निगरानियां म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग के द्वारा उनके कमशः प्रकरण कमांक–673 एवं 674/अ–19/07–08 में पारित आदेश दिनांक 19–9–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है कि ग्राम ज्यौरा मौरा की भूमि खसरा कमांक 2370/2/1, 9.442 हैक्टेयर में से रकबा 1.00 हैक्टेयर का व्यवस्थापन करने हेतु आवेदन पत्र आवेदक देवी सरजुआ पुत्रगण परमू द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर से प्रकरण कमांक 73/अ–19(4)/03–04 में पारित आदेश दिनांक 5–6–04 से (दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध नियम 2–10–84 के तहत) भूमिस्वामी घोषित किया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 5–6–04 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा निगरानी

अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 36/नि0/07–08 में पारित आदेश दिनांक 10–12–07 से संहिता की धारा 5 समय विधान के अंतर्गत अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत करने एवं विलंब का समाधानकारक कारण प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के उक्त आदेश दिनांक 10–12–07 के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई, जहां प्रकरण क्रमांक 673 एवं 674/अ–19/07–08 में पारित आदेश दिनांक 19–9–08 में यह लिखते हुए निगरानी निरस्त की गई कि अपर कलेक्टर का आदेश विधिसंगत है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं हो रही है, अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 19–9–08 के विरूद्ध यह निगरानियां इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये । प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में निवेदन किया गया कि रिकार्ड के आधार पर निर्णय पारित किया जावे । इसके अतिरिक्त उभयपक्ष के अभिभाषकों द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उक्त विवादित प्रकरण में सिविल न्यायालय से आदेश पारित हो चुका है जो राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है। अनावेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय वर्ग–1 निवाड़ी, जिला टीकमगढ के व्यवहार वाद क्रमांक 3ए/2010 संस्थित दिनांक 3–2–10 में पारित आदेश दिनांक 29–2–2012 की छाया प्रति प्रस्तुत कर व्यवहार न्यायालय में पारित आदेश के अनुसरण में आदेश पारित करने का निवेदन किया गया ।

4/ मेंरे द्वारा प्रकरण में संलग्न अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के संलग्न अभिलेखों में अंकित विवादित भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–2–12 का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि व्यवहार न्यायालय में उसी वाद भूमि के संबंध में आदेश पारित किया गया है जो इस न्यायालय में चुनौती युक्त है, एवं पक्षकार भी वही है जो व्यवहार न्यायालय में वादी प्रतिवादी के रूप में संयोजित है ।

5/ व्यवहार न्यायालय के आदेश के अवलोकन से पाया गया है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा तीन बिन्दु वाद के निराकरण के लिए निर्धारित किए थेः

1 क्या वादीगण विवादित भूमि पर विधिक कब्जेदार है ?

2 क्या प्रतिवादी द्वारा वादी की विवादित भूमि पर विधिक कब्जे में हस्तक्षेप किया गया है ?

3 सहायता एवं व्यय ?

उक्त तीनों ही प्रश्नों के निराकरण में व्यवहार न्यायालय द्वारा वादीगण देवी पुत्र परमू, सरजुआ पुत्र परमू एवं भगवती पत्नी बैजू के पक्ष में विनिश्चित किये गये है, जो न्यायालय राजस्व मण्डल के प्रचलित प्रकरण में अनावेदकगण है ।

अतः व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, निवाड़ी, जिला टीकमगढ द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 3ए/2010 में पारित आदेश दिनांक 29—2—12 के पालन में यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों को आदेशित किया जाता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, निवाड़ी, जिला टीकमगढ के द्वारा पारित आदेश के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित करें । पक्षकार सूचित हों । आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस हों । प्रकरण दा0द0 हो ।

यह आदेश इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण क्रमांक 1201—दो/08 एवं 1202—दो/08 दोनों पर एक समान लागू होगा । यह आदेश दोनों प्रकरणों में पारित माना जावेगा ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर